



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखपट्टणम क्षेत्र Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखपट्टणम- 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 estt.ccovz-cbec@nic.in



स्थापना आदेश (राजपत्रित) / Establishment Order (G.O) No.20/2022

(अधीक्षक / Superintendents)

अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित पदस्थापन का आदेश तत्काल प्रभाव से एवं आगामी आदेश तक के लिए दिया जाता है। The following posting is ordered in the cadre of Superintendents with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम Name of the officer	वर्तमान तैनाती स्थान Present place of posting	तैनाती किया गया Posted to
01.	श्री एम पापन्न शास्त्री Shri. M Papanna Sastry	विशाखपट्टणम सी जी एस टी आयुक्तालय Visakhapatnam CGST Commissionerate	डी आर आई, काकीनाडा उप-क्षेत्रीय इकाई (सी सी ओ (वी जेड) के कार्य शक्ति के विरुद्ध ऋण के आधार पर) DRI, Kakinada Sub-Regional Unit (on loan basis against the strength of CCO (VZ)).

2. निदेशालय में अधिकारी का सामान्य ऋण कार्यकाल निदेशालय में कार्यग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष होगा। सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम रूप से ऋण कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाने पर अधिकारी को स्वीकृत ऋण कार्यकाल के पूरा होने की तारीख पर कार्यमुक्त माना जाएगा।

The normal tenure of the officer at the Directorate would be two years from the date of joining in the Directorate. The officer would be deemed to be relieved on the date of completion of the approved loan tenure unless extended with the prior approval of the competent authority in advance.

3. संबंधित अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं। Necessary entries may be made in relevant records.

4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

5. यह मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

**Signed by Musuluru
Sreekanth**

Date: 20-12-2022 14:02:55

Additional Commissioner

[GCCO/II/(3)/126/2021-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में To,

संबंदित व्यक्ति को (संबंदित आयुक्तालय के माध्यम से

The Individual (through the Commissionerate)

प्रतिलिपि Copy to:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम / हैदराबाद (सॉनिप्रा) आयुक्तालय। The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam / Hyderabad(CCA) Commissionerates
2. अपर महानिदेशक, डीआरआई, हैदराबाद जोनल इकाई The Additional Director General, DRI, Hyderabad Zonal Unit
3. उप निदेशक, डी आर आई, विशाखपट्टणम क्षेत्रीय इकाई / The Deputy Director, DRI, Visakhapatnam Regional Unit
4. मुख्य लेखा अधिकारी, विशाखपट्टणम सी जी एस टी आयुक्तालय / CAO Visakhapatnam CGST Commissionerate
5. वेतन और लेखा अधिकारी, विशाखपट्टणम / PAO, Visakhapatnam
6. वेबसाइट/स्टॉक फाइल Website/Stock file